MRA Sazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्डः(ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1712] No. 1712] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 8, 2008/अग्रहायण 17, 1930 NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 8, 2008/AGRAHAYANA 17, 1930

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 2008

का. आ. 2847(अ).—पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 2003 में संशोधन करते हुए, नाशक कीट और कृमि अधिनियम, 1914 (1914 का 2) के खण्ड 3 के उप-खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार द्वारा जारी 31 दिसम्बर, 2007 की अधिसूचना में और 1 जनवरी, 2008 को भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में का.आ. 3(अ) के जरिए भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित मौजूदा प्रविष्टि में पैरा 1 (1) में निम्नलिखित सुधार किया जाए:

"इस आदेश को पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) प्रथम संशोधन आदेश, 2008 कहा जाए"।

> [फा. सं. 8-20/2005-पीपी-1] पंकज कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 8th December, 2008

S.O. 2847(E).—In the Notification dated 31st December, 2007 issued by the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Destructive Insects and Pests Act, 1914 (2 of 1914) amending the Plant Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2003 and published in the Gazette of India Extraordinary vide S.O. 3 (E) in Part II, Section 3 Sub-section (ii) on 1st January, 2008, in Para 1 (1) against the existing entry, the following shall be substituted:

"This Order may be called the Plant Quarantine (Regulation of Import into India) First Amendment Order, 2008."

[F. No. 8-20/2005-P.P.I] PANKAJ KUMAR, Jt. Secy.